12-11-2016

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में समझौता हेतु पेश। अपीलार्थी / वादी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता। प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क.—01 द्वारा श्री अशोक पचौरी

अधिवक्ता । प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क.—02, 03, 04 द्वारा श्री विजय

श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क.—05 शासन एक पक्षीय । प्रकरण आज नेशलन लोक अदालत में समझौता कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हुआ है । प्रकरण में प्रस्तुत लिखित समझौता के संबंध में आज उभयपक्षकारों की ओर से इस आशय का समझौता आवेदनपत्र भी पेश हुआ हो चुका है कि वे उनके मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है, इसलिये प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं।जिसपर प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता श्री विजय श्रीवास्तव ने अनापत्ति प्रकट की। पक्षकारों के समझौता कथनों को भी विचार में लिया गया ।

वादी/अपीलार्थीगण वीरेन्द्रसिंह की पहचान श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता ने प्रतिवादी/प्रत्यर्थी मेघसिंह की पहचान श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ने की है । जिनकी पहचान से खण्डपीठ संतुष्ट है ।

अतः पक्षकारों के मध्य समझौता हो जाने से इस अपीलीय प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों का प्रदान की जावें।

समझौता को देखते हुए उभयपक्ष अपना अपना वादव्यय स्वयं वहन करेंगे, जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार दोनों में से जो भी कम जो जोड़ा जावे।

उक्तानुसार व्ययतालिका निर्मित हो। प्रकरण पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो।

> (पी.स्). आर्य) । पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ क.—20, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

(के०सी० उपाध्याय) (सदस्य) खण्डपीठ क.—20 गोहद जिला भिण्ड

(के0पी0 राठौर) (सदस्य) खण्डपीठ क.–20 गोहद जिला भिण्ड

GRE

01